राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

सं.एफ–6(179)परि/टैक्स/हैड./95/10 जयपुर, दिनांक : 31.3.97

अधिसूचना

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त जारी की गयी समस्त पूर्व अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा, 1.4.97 से, इससे संलग्न सारणी के स्तम्भ के सं.2 में विनिर्दिष्टानुसार इस राज्य में अस्थायी परमिटों पर चलने वाले अन्य राज्य के पहरवहन यानों पर इसके स्तम्भ सं.3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट दरों पर इसके द्वारा विशेष सड़क कर की दर विहित करती है :–

सारणी

क्र.सं.	परिवहन यान का वर्णन	विशेष सड़क कर की दर
1	2	3
1.	माल यान :	
	(i) 5,000 किग्रा. तक की भार वाहन क्षमता	90/रु., 30 दिन या उसके भाग के लिये प्रति 1000 किग्रा. की भार वहन क्षमता या उसके भाग के लिये
	(ii) 5,000 किग्रा. से ऊपर की भार वहन क्षमता	70 रु., 30 दिन या उसके भाग के लिये प्रति 1000 किग्रा. की भार वहन क्षमता या उसके भाग के लिये
2.	यात्री यान :	
	(i) तिपहिया यान	35/–रु. प्रति दिन
	(ii) चार पहियों वाले यान :–	
	(क) ड्राईवर को अपवर्जित करते हुए 5 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले	40/– रु. प्रति दिन
	(ख) ड्राईवर को अपवर्जित करते हुए 5 व्यक्तियों से अधिक की किन्तु ड्राईवर को अपवर्जित करते हुए 12 व्यक्तियों से अनधिक के बैठने की क्षमता वाले	80/– रु. प्रति दिन
	(ग) ड्राईवर को अपवर्जित करते हुए 12 व्यक्तियों से अधिक की किन्तु ड्राईवर और कण्डेक्टर को अपवर्जित करते हुए 20 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले	
	(1) साधारण यान	250/– रु. प्रति दिन
	(2) साधारण यान से अन्यथा	400/– रु. प्रति दिन
	(घ) ड्राईवर और कण्डेक्टर को अपवर्जित करते हुए 20 व्यक्तियों से अधिक के बैठने की क्षमता वाले	

(1) साधारण यान	500/– रु. प्रति दिन
(2) साधारण यान से अन्यथा	800/– रु. प्रति दिन

स्पष्टीकरण :

(i) संलग्न यान की भार वहन क्षमता का अवधारण करने के लिये ट्रक/होर्स ट्रेलर के आर.एल.डब्ल्यू/जी.वी.डब्लयू और यू.एल.डब्ल्यू या उसके किसी भी संयोजन या अनुकूलन को साथ–साथ विचार में लिया जायेगा।

(ii) किराये की गाड़ी के लिये कर की दर के प्रयोजन के लिये अभिव्यक्ति ''साधारण यान'' से निम्नलिखित विशेषताओं वाला यान अभिप्रेत होगा :

(क) सीटों के बीच पीछे के भाग से पीछे के भाग तक की दूरी :

(i) सीटें यान के एक ओर से दूसरी ओर लगी हों और एक ही दिशा में हो	70 से.मी. से कम या उसके बराबर
(ii) सीटें एक ओर से दूसरी ओर किन्तु आमने सामने लगी हों	130 से.मी. से कम या उसके बराबर
(iii)सीटें यान की लम्बाई के साथ–साथ लगी हों और आमने सामने लगी हों।	130 से.मी. या उसके बराबर
(ख)सीटों का आकार	40 वर्ग से.मी. से कम या उसके बराबर
(ग)सीट तल के ऊपर सीट के पीछे के भाग की ऊँचाई	42 से.मी. से कम या उसके बराबर

(iii) ''साधारण यान से भिन्न'' से ऊपर यथापरिभाषित ''साधारण यान'' से भिन्न कोई यान अभिप्रेत होगा।

राज्यपाल के आदेश से,
शासन उप सचिव